BHAGWANT UNIVERSITY

SIKAR ROAD, AJMER

Ref: BU/ADM/014/ Raj. Scholarship/ 348 **Date: 06.11.2017**

आवश्यक सूचना

विषय :– राजस्थान सरकार की शैक्षणिक वर्ष 2017–18 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/एवं आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC)/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT)/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा विभागीय वेबसाईट **www.sje.rajasthan.gov.in के Home Page पर Scholarship Portal (2017-18) पर** क्लिक कर पेपरलेस **आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने की प्रकिया दिनांक 06 नवम्बर, 2017 से प्रारम्भ हो चुकी है।**

छात्रवृति पोर्टल 2017–18 पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश :–

- अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) में 2.50 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेगें।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में 1.00 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 प्राथमिकता वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेगें ***जैसे:– बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र।***
- **डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC)** में 1.00 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं मे अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेगें।
- **डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT)** में 2.00 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेगें।

- **मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना** में 5.00 लाख रू. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
- **SC/ST/OBC/SBC/EBC/DNT/ मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा** उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएँ तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा। जैसे:-

1. **ई-मेल एड्रेस, फेसबुक अकाउन्ट।**
2. **भामाशाह कार्ड**:-विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाऐं जैसे- नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। आपके शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकोर्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
3. **बैंक खाता** विद्यार्थी की छात्रवृति राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। भामाशाह पोर्टल में विद्यार्थी के नाम के सामने विधार्थी का बैंक खाता संख्या नही होने की स्थिति में भामाशाह कार्ड में दिये गये परिवार के मुखिया के बैंक खातें में राशि हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरण करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा।
4. आधार कार्ड।
5. जाति प्रमाण पत्र।
6. **आय का घोषणा पत्र** एक पृष्ठीय निर्धारित **प्रपत्र-द** में ही बनाकर मूल ही स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान पर अपलोड करना होगा। पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा, पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा, माता-पिता दोनो की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा, माता-पिता एवं संरक्षक तीनो ही नही होने की स्थिति में स्वयं द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जावेगी। माता-पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।
7. **मूल निवास प्रमाण पत्र**
8. **विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र**
9. अनाथ एवं विधवा स्वयं/विधवा के पुत्र/पुत्री की स्थिति में पिता/माता/पति की मृत्यु पर संबंधित का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा की स्थिति में तलाक से संबंधित दस्तावेज।
10. **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** में बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र , अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा

स्वयं, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में संबंधित प्रमाण पत्र।

11. **दसवीं (हाई–स्कूल) की अंक तालिका।**
12. **गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका।**
13. **फीस की रसीद** (विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्थान को दी गई फीस की मदों का पूर्ण विवरण छात्रवृति पोर्टल पर अंकित करना होगा। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नही कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नही होगा)।

विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम **सात दिन** का समय प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी सात दिन में आक्षेप की पूर्ति नही करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत पात्रता एवं जानकारी **www.sje.rajasthan.gov.in** के **Home Page** पर **Scholarship Portal (2017-18)** पर देखी जा सकती है एवं विभागीय हेल्प डेस्क कमरा नं. D-207 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उप कुलसचिव

प्रतियाँ प्रेषित :–

1. माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. सहायक कुलसचिव/नोडल अधिकारी (छात्रवृति)।
3. विभागाध्यक्ष/काउन्सलर।
4. विद्यार्थी सूचना पट्ट।
5. कार्यालय प्रति।